

न्यायालय— सदस्य, प्रथम मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, जिला—ग्वालियर म0प्र0
(समक्ष—साबिर अहमद खान)

Registration No. MJCMACC/202/2026

Filing No.MJCMACC /1992/2026

CNR No.MP0701-006827-2026

Filing Date-24-03-2026

श्रीमती इंकेश पाल पत्नी स्व0 श्री हरगोविंद पाल
उम्र—54 वर्ष व्यवसाय—गृहकार्य निवासी—हुजरात
कोतवाली क्यू 19सी लश्कर, ग्वालियर म.प्र.

....आवेदक

बनाम

1. ब्रजेश कुमार गौड पुत्र केदार प्रसाद गौड
निवासी—न्यू आकाश नगर हवेली पिछवाडी जिला
ग्वालियर म.प्र.
2. शरदा श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री बी.एम. श्रीवास्तव
निवासी—डी/11 गांधी नगर जिला ग्वालियर म.प्र.
3. यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
कार्यालय फाल के साहब का बाडा गैस गोदाम के
पास फालका बाजार जिला ग्वालियर म.प्र.

....अनावेदकगण

29.04.2026

आवेदक श्रीमती इंकेश पाल स्वयं सहित श्री
जहार सिंह बघेल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज मूल अभिलेख की प्राप्ति हेतु
नियत है।

अभिलेखागार से क्लेम प्रकरण क्रमांक
25/2006 उनवान श्रीमती इंकेश पाल आदि बनाम
बृजेश कुमार आदि अवार्ड दिनांक 28.02.2007 का
मूल अभिलेख प्राप्त हुआ।

आवेदक श्रीमती इंकेश पाल की ओर से
प्रस्तुत आवेदनपत्र कर निवेदन किया गया कि क्लेम
प्रकरण क्रमांक 25/2006 उनवान श्रीमती इंकेश
पाल आदि बनाम बृजेश कुमार आदि अवार्ड दिनांक
28.02.2007 एवं एम ए नंबर 586/2007 में पारित
आदेश दिनांक 04.11.2022 के पालन में तैयार की
गई एफ डी आर के समयपूर्व भुगतान का निवेदन
इस आधार पर किया गया कि आवेदक के द्वारा

अपना खुद का प्लॉट खरीदकर मकान बनवाया है। मकान बनवाने के लिये आवेदक द्वारा एस बी आई बैंक से गोल्ड रखकर लोन लिया है। उक्त लोन पर अत्यधिक ब्याज चल रहा है इसलिये आवेदक को लोन की राशि के भुगतान हेतु एफ डी आर के समयपूर्व भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदनपत्र पर आवेदक अधिवक्ता को सुना गया, प्रकरण का अवलोकन किया गया।

क्लेम प्रकरण क्रमांक 25/2006 उनवान श्रीमती इंकेश पाल आदि बनाम बृजेश कुमार आदि अवार्ड दिनांक 28.02.2007 के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 16.02.2006 को वाहन दुर्घटना में मृत हुये हरगोविन्द पाल के वारिसान द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्ति हेतु उक्त क्लेम प्रकरण अधिकरण में प्रस्तुत किया गया था जिसका निराकरण दिनांक 28.02.2007 को किया गया है। आवेदकगण द्वारा उक्त क्लेम अवार्ड के विरुद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय में विविध अपील क्रमांक 586/2007 प्रस्तुत की गई थी जिसमें दिनांक 04.11.2022 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पालन में अनावेदक बीमा कम्पनी द्वारा 10.12.2022 को राशि **17,38,319/-रुपये (सत्रह लाख अड़तीस हजार तीन सौ उन्नीस रुपये)** अधिकरण के खाते में जमा की गई थी। उक्त राशि में से 60 प्रतिशत राशि आवेदक श्रीमती इंकेश पाल को तथा आवेदकगण आरती एवं भारती को 10-10 प्रतिशत राशि एवं आवेदक नितेश पाल को 20 प्रतिशत राशि प्रदान की गई थी। आवेदक श्रीमती इंकेश पाल को प्राप्त उसके हिस्से की राशि 60 प्रतिशत राशि में से 40 प्रतिशत राशि उसे बचत खाते के माध्यम से नकद भुगतान की गई थी एवं 30 प्रतिशत राशि तीन वर्ष एवं 30 प्रतिशत राशि पांच वर्ष की समयावधि के लिये सावधि खाते में आवेदक श्रीमती इंकेश पाल के नाम से जमा की गई थी।

आवेदक श्रीमती इंकेश पाल की ओर से मुथुट फायनेंस कम्पनी से लिये गये गोल्ड लोन एवं भारतीय स्टेट बैंक से लिये गये लोन के दस्तावेजों की छाया प्रतियां पेश की गई है। आवेदक की ओर से यह निवेदन किया गया कि उक्त लोन पर अत्यधिक ब्याज की दर

अदा करना पड़ रही है इसलिये उक्त ऋण अदायगी के लिये उसे रूपयों की आवश्यकता है इसलिये आवेदक के नाम से तैयार एफ डी आर का समयपूर्व भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं आवेदक के द्वारा लिये गये ऋण पर अदा किये जाने वाले ब्याज की राशि को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक श्रीमती इंकेश पाल के नाम से तैयार एफ डी आर खाता क्रमांक 667103030028170 राशि **03,12,897/-रूपये (तीन लाख बारह हजार आठ सौ सन्तान्चे रूपये)** की दिनांक 20.12.2022 का समय पूर्व भुगतान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक श्रीमती इंकेश पाल की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र आंशिक रूपसे स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती इंकेश पाल के नाम से तैयार एफ डी आर खाता क्रमांक 667103030028170 राशि **03,12,897/-रूपये (तीन लाख बारह हजार आठ सौ सन्तान्चे रूपये)** की दिनांक 20.12.2022 का समय पूर्व भुगतान किये जाने बावत शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जिला न्यायालय ग्वालियर को पत्र भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही / -

(साबिर अहमद खान)

सदस्य प्रथम मो0दु0दा0 अधिकरण
जिला ग्वालियर